

अनवान

बनाम

प्रकरण संख्या

अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
12 14/22	<p>वादी अधिवक्ता उपस्थित। निगम अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निगम को कर स्वर से कम होकर दाखिल कियत है।</p>



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

